कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीधी (म.प्र.)

// आदेश //

क्रमांकः 646/दो–05–1/2013 सीधी, दिनांकः 22 नवम्बर, 2023

न्यायिक जिला स्थापना सीधी में सहायक ग्रेड–3 के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति के प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा तथा दिनांक 22.11.2023 को किये गये अनुमोदन के फलस्वरूप स्थापना पर पदस्थ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति सहायक ग्रेड–3 के पद पर वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार वेतन कोष्ठिका के लेवल–4 में दिये गये वेतनमान 19500–62000 में 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर निम्नांकित कर्मचारीगण का पूर्णतः अस्थाई रूप से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से की जाती है–

क.	कर्मचारी का नाम/पदनाम
01	श्री राकेश सिंह, भृत्य
02	श्री विमलेश कुमार तिवारी, भृत्य
03	श्रीमती आकृति सिंह, भृत्य
04	श्री अनिल कुमार सिंह माका, भृत्य
05	श्री शिवसूरति सिंह, भृत्य

शर्तेः– **1.** उपरोक्त तालिका के क्र 01 लगायत 05 पर उल्लेखित कर्मचारी आवश्यक रूप से 02 वर्ष की समयावधि में सी.पी.सी.टी. स्कोर कार्ड परीक्षा एवं मान्यता प्राप्त संस्था से 01 वर्षीय कम्प्यूटर परीक्षा/डिप्लोमा उत्तीर्ण कर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। नियमानुसार समयावधि में वांछित अर्हता पूर्ण न किये जाने पर उन्हें मूल चतुर्थ श्रेणी के पद पर प्रत्यावर्तित किया जावेगा।

2. उपरोक्त सभी पदोन्नत कर्मचारियों की पदोन्नति इस शर्त पर की जाती है **कि यदि 01 वर्ष की कालावधि में उनके पीठासीन अधिकारी/प्रभारी अधिकारी द्वारा बुलाए जाने पर उनकी ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होती है कि कर्मचारी कम्प्यूटर टाईपिंग, टाईपिंग की समुचित गति, सीआईएस सॉफ्टवेयर के संबंध में सहायक ग्रेड–3 स्तर के कर्मचारी के समरूप अपेक्षित ज्ञान नहीं है, तब ऐसे पदोन्नत कर्मचारी को कोई भी नोटिस दिए बिना कार्य अक्षमता के आधार पर तत्काल उनके मूल चतुर्थ श्रेणी के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।**

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सीधी (म.प्र.)